

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थानान्तरण पदस्थापन/2018 दिनांक 24.07.2018 द्वारा श्री मोहम्मद फहीम अहमद व्याख्याता (उर्दू) राउमावि-मोडक गांव, कोटा का स्थानान्तरण राउमावि-लांबोरी, कुम्भलगढ जिला राजसमन्द किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री फहीम अहमद द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से एस.बी.सिविल याचिका 17090/2018 श्री फहीम अहमद बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.07.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी उक्त अंतरिम आदेश के क्रम में श्री फहीम अहमद व्याख्याता(उर्दू) के संबंध में जारी आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.07.2018 को एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की आगामी/अन्तिम सुनवाई तक स्थगित किया जाता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन श्री फहीम अहमद राउमावि-मोडक गांव, कोटा में व्याख्याता(उर्दू) के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/कोर्ट केस/सी-5/याचिका/17090/2018 दिनांक 16/8/18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा/उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा/राजसमन्द।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
7. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)